

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर

प्रकरण संख्या 220/2019(2019/00385)

रामलाल पुत्र मोतीलाल नाई निवारणी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.
--वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

--प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88, राज. काश्त. अधि. व 131 भूराजस्व अधिनियम

--: आदेश :-

दिनांक- 12.03.2022

उपस्थिति:-1. शिवप्रसाद पाराशर-वकील वादी


राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी के अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया। विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है

वादी ने एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, राज. काश्त. अधि. व 131 भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी के वादीग्रस्त आराजी बाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर स्थित जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 1923 खसरा नं. 6143 रकबा 0.67 है. किस्म बारानी 2 एवं खसरा नं 6144 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. रास्ता वादी के खातेदारी में दर्ज है जिसके पुराने खसरा नं 1957 रकबा 4-8-0 व खसरा नंबर 1957 किस्म बारानी 1 जो कि वर्कीगं जमाबंदी संवत् 2041 के खाता नंबर 1228 तथा खसरा नं 6143 रकबा 0.67 है वतौर खातेदार काश्तकार के अंकन है आराजी खसरा नं 6143 व 6144 वादी के खातेदार में दर्ज है जो कि मोतिराम पुत्र नाथूलाल नाई के नाम वर्कीगं जमाबंदी में दर्ज हो रखी है जिसकी किस्म बारानी दर्ज थी। किन्तु वर्तमान में आराजी खसरा 6144 कि किस्म गै. मु. रास्ता कर दी गई है जिसके लिए वादी ने ये वाद पत्र पेश किया है

प्रकरण में तहसीलदार केकड़ी ने मौका रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेश दिनांक 12. 3.2022 को पेश कि है जिसके आराजी खसरा नंबर 6143 व 6144 की किस्म दुरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत नक्शे अनुसार शुद्ध करना बताते हुये जवाब मय मौका रिपोर्ट नक्शा ट्रेश पेश कि गई जो सामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार है:-

1. कि कस्बा केकड़ी कि जमा. 2076 से स्थायी के खाता संख्या 2173 के खसरा संख्या 6143 रकबा 0.67 किस्मा वा. 1, रकबा 6144 किस्म गै.मु. रास्ता पर रामलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा पूर्ण जाति-नाई सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा केकड़ी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल ख.न. 6143 रकबा 0.67 साबिक 1957 रकबा 0.67 व खसरा नंबर 6144 रकबा 0.04 साबिक 1957 कमश साबिक खसरा संख्या बने।
3. वर्कीगं जमा संवत् 2041 के खाता संख्या 1228 के ख.न. 1957-41-3 किस्म वा.1 मोतीलाल पुत्र नाथूलाल कौम नाई खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक रिकॉर्ड एवं साबिक नक्शा के ख.न. 1957-41-3 किस्म वा. 1 एक ही प्लाट(क्षेत्र) था तथा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा संख्या 1957-41-3 के हाल खसरा संख्या 6143


सदस्य

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत बैंक

(तालुका विधिक सेवा समिति)

केकड़ी (अजमेर)




रकबा 0.67 है. किस्म बारान्नी 1 व 6144 रकबा 0.04 किस्म गै.मु.रास्ता का रिकोर्ड कायम किया गया है।


4. प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 4 में वादी का कथन सत्य है। एवं वादी के कथनानुसार मौके पर 6143 के उतरी ओर 6-7 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर चालू है। अतः खसरा संख्या 6144 को 6143 के उतरी ओर प्रस्तावित नक्शानुसार किया जाना उचित है। एवं वाद मे 6144 दक्षिण कि ओर को उतर की ओर चाहा गया है।
5. उक्त प्रकरण मे राजहित प्रभावित नहीं होता है।

पत्रावली के अवलोकन किया गया हल्का पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 6143 मे पूर्व रास्ते की तरमीम दक्षिण दिशा की मेड पर थी जिसे प्रार्थी अपनी सहमति से खसरा नंबर 6144(गै.मु.रास्ता) को 6143 के उतरी मेड पर तरमीम कराना चाहता है एवं वाद मे 6144 दक्षिण कि ओर को उतर की ओर चाहा गया है जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना वादी ने कि है वाद पत्र को स्वीकार करने मे अन्य कोई खसरा नंबर प्रभावित नहीं होता है तथा प्रकरण मे राजहित प्रभावित नहीं होता है।

अतः वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, राज. काश्त. अधि. व 131 भू.राजस्व अधिनियम का किस्म परिवर्तन का इस न्यायालय का होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी अपनी सहमति से खसरा नंबर 6144(गै.मु.रास्ता) को 6143 के उतरी मेड पर तरमीम कराना चाहता है एवं वाद मे 6144 दक्षिण कि ओर को उतर की ओर चाहा गया है अतः खसरा नं. 6144 किस्म गै.मु.रास्ता को खसरा संख्या 6143 के उतरी मेड पर तरमीम दुरस्त किया जावे। सहसिलदार केकड़ी राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा का खर्च अपना-अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।


सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)


न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला-अजमेर